

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

Serial No. 2082

Deed No. 6

बिहार सरकार
अवर निबंधन कार्यालय, निर्मली

पुष्तांकन का सारांश

दिनांक 14/11/2014 को Ram Prakash Sahu द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 5000 का निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेखाकारियों ने गैर अल्पकालिक निबंधन स्वीकार किया उनके तथा उनके प्रहजानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं० 6 के रूप में पुस्तक सं० 4 में निबन्धन सं० 1 के पृष्ठ सं० 61 से 76 तक CD 1 में आज निबंधित एवं कुल 16 पृष्ठों में संघारित किया गया।

दिनांक-14/11/2014

सुधांशु शर्मा
निबंधन पदाधिकारी

न्यास-पत्र

यह "हंसवाहिनी ऐजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट" पत्र दिनांक-14-11-2014 को ग्राम+पोस्ट-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार) के द्वारा श्री राम प्रकाश साहु, पिता-स्व० सुरतलाल साहु, ग्राम-निर्मली, ग्राम+पोस्ट-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार) संस्थापक है, जो कि ट्रस्ट के न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष के नाम से जाने जाएंगे।

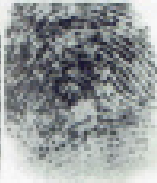
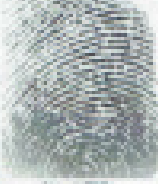
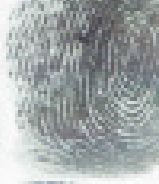
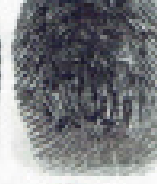
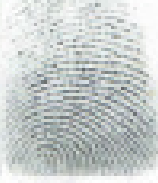
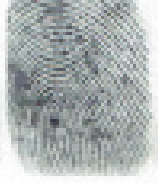
Sub District Registry Office, Nirmali

Token Number 2137

Reg. Year 2014

Serial Number 2082

Deed Number 6

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Ram Prakash Sahu	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.	Ram Prakash Sahu 14/11/14						
	Mina Devi						
Sig.	मीना देवी 14/11/14						
Trustee	Ram Prakash Sahu						
Sig.	Ram Prakash Sahu 14/11/14						
	Babita Kumari						
Sig.	Babita Kumari 14/11/14						
	Chandan Kumari						
Sig.	Chandan Kumari 14/11/14						
	Gautam Kumar Nagmani						
Sig.	Gautam Kumar Nagmani 14/11/14						
Identified By	Manoj Kumar Sah						
Sig.	Manoj Kumar Sah 14/11/14						



हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख-शांति, संगठन सद्भावना एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकत समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित्त प्रारंभ मुद्रा-51,000/- रुपये (एकान्व हज़ार रुपये मात्र) प्रदान करते हैं जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

1. न्यास का नाम : हंसवाहिनी ऐजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम+पोस्ट-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार)
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा।

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होंगे और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या : न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम सात और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।

Ram Prakash Mishra
11/11/14

5. न्यास का गठन :-

क्र०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
01	श्री राम प्रकाश साहु, पिता- स्व० सुरत लाल साहु	ग्राम- निर्मली पोस्ट+धाना-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार)	समाज सेवा	संस्थापक अध्यक्ष
	श्रीमति मीना देवी, पति-राम प्रकाश साहु	ग्राम- निर्मली पोस्ट+धाना-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार)	समाज सेवा	ट्रस्टी सचिव
	श्रीमति बबिता कुमारी, पति-कृष्ण कन्हैया	ग्राम- निर्मली पोस्ट+धाना-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार)	समाज सेवा	ट्रस्टी कोषाध्यक्ष
	गौतम कुमार नागमणि, पिता-राम प्रकाश साहु	ग्राम- निर्मली पोस्ट+धाना-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार)	समाज सेवा	ट्रस्टी सदस्य
	श्रीमति चंदन कुमारी, पति गौतम कुमार नागमणि	ग्राम- निर्मली पोस्ट+धाना-निर्मली, जिला-सुपौल, पिन कोड-847452 (बिहार)	समाज सेवा	ट्रस्टी सदस्य

जिला : सुपौल (बिहार)

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए संस्थापक/अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

न्यास का ज्ञापन

1. न्यास का नाम : हंसवाहिनी ऐजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेल्फेयर ट्रस्ट
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम-निर्मली, ग्राम+पोस्ट-निर्मली, जिला-सुपौल,
पिन कोड-847452 (बिहार)

3. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :-

1. ट्रस्ट द्वारा आईटीआई (एनआईटीआई), पारा मेडिकल, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग इन्स्टीट्यूट (एनआईएम) पोलिटेक्निक कॉलेज, फार्मसी कॉलेज का संचालन किया जायेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त निरक्षरता को उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान का संचालन किया जायेगा। जिससे सेधावी गरीब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।
3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।
5. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदायवाद इत्यादि को समाप्त करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।

Ratan Prakash Singh
14/11/14

7. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।
8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना ।
9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टीबी, कात्तानार, हेपेटाइटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना । अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना ।
10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना ।
11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।
12. पंचायती राज, ग्रामसंक मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
13. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना । विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना ।
14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना । औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना ।

Ram Prakash Sahy
19/11/24

16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना । उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना । बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन, एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना ।
17. महिलाओं एवं बच्चों के घौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना ।
18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग मधुबनी पेन्टिंग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना ।
19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना ।
20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना ।

इंसवाहिनी ऐजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट

की नियमावली

1. परिभाषाएं

क-	न्यास का नाम	:-	इंसवाहिनी ऐजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट
ख-	न्यास का ट्रस्टी	:-	संस्थापक/ न्यासकर्त्ता अध्यक्ष मुख्य न्यासी होंगे ।
ग-	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	:-	संस्थापक/ न्यासकर्त्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे ।
घ-	पदाधिकारी	:-	संस्थापक/ न्यासकर्त्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होंगे ।

- ड- प्रबंध समिति :- पदाधिकारी सहित पाँच सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होंगे ।
- च- वर्ष/राज :- 01 अप्रैल से 31 मार्च तक ।
- छ- एक्ट :- ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

2. सदस्यता :-

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक/ न्यासकर्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा । सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/ न्यासकर्ता को अनुमति/ स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा । सदस्यता पाँच प्रकार का होगा -

1. न्यासी सदस्य- संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष ।
2. साधारण सदस्य कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 500 रुपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते हैं ।
3. स्थाई सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/- रु० अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते हैं ।
4. संस्थागत सदस्य - कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे 2500/- रु० अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं ।
5. संस्थापक सदस्य - जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 5000/- रुपये जमा करने होंगे ।

Ram Prakash Sahay
14/11/24

3. सदस्यता की समाप्ति / विमुक्ति

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर ।
2. दिवालिया या पागल होने पर ।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर ।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर ।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्काशित करने पर ।
6. संस्थापक/ न्यासकर्त्ता द्वारा निष्काशित करने पर ।

4. न्यास का प्रबंधन

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित पाँच सदस्य होंगे प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/ न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें ।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेंगे ।

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे :-

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वेच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना ।
2. सगय समय पर न्यास के कोष/ निधि का उपयोग न्यास के देश की पूर्ति हेतु करना ।
3. न्यास के सम्पत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक / डाकघर, एचडीएफसी/ आईसीआईसीआई/ मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना ।
4. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कर्णट, विश्व बैंक या एशियन

Ram Prakash Sahy
12/11/14

डेवलपमेंट बैंक, अन्तराष्ट्रीय / राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना ।

5. न्यास के कोष / निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा ।
6. न्यास के कोष/ निधि से अर्जित चल/ अचल सम्पत्ति किराये/ लीज/ पट्टे पर लेना एवं देना ।
7. न्यास के नाम से बचत/ चालू / आवर्ती जमा/ अनावर्ती / जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापन / न्यासकर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संशोधन हेतु बैंक / डाकघर को सूचित करना ।
8. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि / परामर्शदाता नियुक्त करना / अधिकृत करना ।
9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/ अंशकालिन वैतनिक/ अवैतनिक अधिकारियों/ लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना ।
10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना ।
11. किसी अन्य न्यास / ट्रस्ट / संगठन/ संस्थान में सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना ।
12. न्यास का स्थानान्तरण / हस्तान्तरण करना या देना ।
13. न्यास के सम्पत्ति, कोष/ निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/ स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ ट्रस्ट को देना ।
14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य / जिला / प्रखण्ड / पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/ केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना ।

Ram Prakash Sanyal
14/11/14

Ram Prakash Sahy
14/11/14

15. न्यास के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय व्यय लेख का अंकलेखन करना और अंकलेखन हेतु अंकलेखक की नियुक्ति करना ।
16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना ।
17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी ।
18. संस्थापन / न्यासकर्त्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा । उनका कार्यकाल संस्थापन / न्यासकर्त्ता द्वारा तय किया जाएगा ।
19. संस्थापन / न्यासकर्त्ता को समय-समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा । न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संनिधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे ।

5. प्रबंध समिति का निर्वाचन :-

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा । प्रबंध समिति का गठन निबंधन के प्रश्नात निर्वाचन के आधार पर होगा ।

6. प्रबंध समिति का अधिकार:-

पाँच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किए जाएंगे । शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे ।

7. पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य :-

1. संस्थापक अध्यक्ष
 1. संस्थापक अध्यक्ष के सर्वोच्च पदाधिकारी सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे ।
 2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना ।
 3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना ।
 4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना ।
 5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना ।

6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विवादाग्रस्त परिस्थिति में संस्थापन / न्यासकर्त्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।
7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।
8. संस्थापक अध्यक्ष जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।
9. संस्थापक अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।
10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।
11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/ कार्यक्रम बनाना।
13. न्यास के समस्त आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/ प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश विदेश में प्रतिनिधित्व करना।
15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य सम्पादित करना / अनुपालन करना।
16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की विना पूर्व स्वीकृति के 10,000/- (दस हजार) रुपये तक खर्च करना।
18. राष्ट्रीय / राज्य / जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

Ram Prakash Sanyal

14/11/24

2. ट्रस्टी सचिव :-

सचिव न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा । आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बेशर्ब मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करेगा ।

3. ट्रस्टी कोषाध्यक्ष :-

न्यास के कोष रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा । अधिक से अधिक पाँच हजार रुपये तक न्यास के कार्यों के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे । परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा जमा कोष से रुपये की निकासी संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा । जिसमें संस्थापक अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

4. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे -

- (क) न्यास के सभी चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारु प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना ।
- (ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना ।
- (ग) समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना ।
- (घ) जिला / अनुमंडल / प्रखण्ड / पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना ।

Ram Prakash Sahy
14/11/24

- (ड) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी ।
- (च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना ।
- (छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे झड़स्यता से वंचित करना / विमुक्त करना ।
- (ज) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी ।

6. प्रबंध समिति की बैठक :

- (1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा ।
- (2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी ।
- (3) बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा ।
- (4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा ।

7. आम सभा :

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी । आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे ।

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना ।
2. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना ।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना ।
4. अंकक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना ।
5. अंकक्षक की नियुक्ति करना ।
6. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना ।

Ram Prakash Sahy
24/11/14

7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना ।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना ।

8. **असाधारण बैठक :-**

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है ।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक अध्यक्ष की सलाह पर ।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर ।
3. सभा/ बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी ।
4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी ।
5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
6. बैठक की सूचना निर्वाचित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी ।

9. **मतदान :**

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा । किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा । किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा । किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा । किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक / न्यासकर्त्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है ।

10. **कार्यकाल :**

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी ।

11. **रिक्त पदों की पूर्ति :**

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापक अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकते हैं ।

12. **आय का स्रोत :**

न्यास के आय के निम्नलिखित स्रोत होंगे -

- (क) प्रवेश शुल्क ।
- (ख) सदस्यता शुल्क ।

Ram Prakash Sahy
12/11/14

- (ग) आजीवन सदस्यता शुल्क ।
 (घ) दान एवं चन्दा ।
 (ङ) अनुदान ।
 (च) ऋण ।
 (छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से / चेरिटी शो के आयोजन / शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से ।
 (ज) सम्पन्नता शुल्क एवं अन्य शुल्क ।
 (झ) विंध्यटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायेगी । निबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण कर सकते हैं । जिसका स्वर्च न्यास वहन करेगी ।

Ram Prakash Sahy
14/11/14

14. कोरम :
 आम सभा / प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा ।
 15. न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन :
 न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष लिया जाएगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह हंसवाहिनी ऐजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के

स्मृति पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

गवाह

1. मनोज कुमार (आई-
 फो. (30) मुराद नारायण (आई-
 आनके - निर्मली, वार्ड नं-04
 जिला - बुधेल (BHU)
 14/11/2014

2. राजबिन्द विहवास
 जिला. श्री नगौरकर विहवास
 निर्मली - निर्मली वार्ड नं-8
 जिला - सुपौल
 14.11.2014

1. Ram Prakash Sahy
 At+P.O - Nirmali, Ward No-08,
 Anchal - Nirmali (Supaul)
 2. श्री जी. जी.
 आन+वो. निर्मली, वार्ड नं-08
 अंचल - निर्मली, जिला - सुपौल
 3. Babita Kumari
 At+P.O - Nirmali, Ward No-08,
 Anchal - Nirmali (Supaul)
 4. Gautam Kumar Nagnani
 At+P.O - Nirmali, Ward No-08,
 Anchal - Nirmali, Dist - Supaul.
 5. Chandan Kumar
 At+P.O - Nirmali, Ward NO-08
 Anchal - Nirmali (Supaul)

14/11/14

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 5000/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Challan Rs. 5420/-

Registration Fee

A1	1020	C	0	H1b	0	K1a	0	L1	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	L11	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0
TOTAL-									1020

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc. Fee	0
Total	0

Service Charge

	400
--	-----

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1420

Date: 14/11/2014

Registering Officer
Nirmali

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Nirmali on Friday, 14th November 2014 by Ram Prakash Sahu Late Surat Lal Sahu by profession Agriculture. Status - Trustee

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 14/11/2014

Registering Officer
Nirmali

Ram Prakash Sahu
14/11/14

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manoj Kumar Sah' age '35' Sex 'M', 'Sury Narayan Sah', resident of 'Nirmali Supaul'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 14/11/2014



Registering Officer
Nirmali

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Nirmali in Book 4 Volume No. 1 on pages on 61 -76 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 14/11/2014

Registering Officer
Nirmali

Token No. : 2137

Year : 2014

S.No. :

2082

SCORE Ver.3.0

Deed No. : 6